राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 962/2023

ममता वर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं तथा अतिरिक्त निदेशक, पंचायती राज (चिकित्सा), राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, पी.एच.सी., सिहोड़, जिला झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.02.2023
आदेश की दिनांक : 17.03.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कर्मवीर विजय पूनियां, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में ए.एन.एम. के पद पर पी.एच.सी., सिहोड़, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप केन्द्र, पोकरासर, जिला बाड़मेर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण पदस्थापित स्थान से 700 कि.मी. दूर किया गया है, जो नियम विरूद्ध है, चूंकि अपीलार्थी दिनांक 01.09.2022 से 180 दिवस के लिए मातृत्व अवकाश पर है। अपीलार्थी ने दिनांक 15.09.2022 को एक बच्चे को जन्म दिया, फिर भी प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण 700 कि.मी. दूर कर दिया जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विरूद्ध है। अपीलार्थी को अधिशेष दर्शाते हुए स्थानान्तरण किया है। अपीलार्थी अल्प वेतन भोगी कार्मिक है। अल्प वेतन भोगी कार्मिकों का स्थानान्तरण जिले के अंदर किया जाना चाहिए, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो विधि विरूद्ध है।

अतः अपीलार्थी की उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक

अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन ए.एन.एम. के पद पर पी.एच.सी., सिहोड़, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। अनुलग्नक–3 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी 180 दिवस के लिए मातृत्व अवकाश पर है और अनुलग्नक–2 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने दिनांक 15.09.2022 को एक बच्चे को जन्म दिया है। इस प्रकार अपीलार्थी के मातृत्व अवकाश के दौरान उसका प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 700 कि.मी. दूर स्थानान्तरण कर दिया गया, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार मामले की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य